**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

निर्णय की तिथि: 08.05.2024

**आ.प्र.अ (वाणिज्यिक) 86/2024**

जयभगवान ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री अनिल सहगल, श्री विनय प्रताप,अधिवक्तागण

बनाम

श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड कैमिकल्स और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री प्रेम प्रकाश, श्री आदित्य हर्ष और सुश्री दिपाली नंदा, प्र.1 के लिए अधिवक्तागण

**कोरमः**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री विभु बाखरू**
**माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितस्ता गंजू**

**<u>न्या. विभु बाखरू (मौखिक)</u>**

1. अपीलार्थी ने विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 23.02.2024 (इसके बाद *आक्षेपित आदेश*) के आदेश पर आक्षेप करते हुए

वर्तमान अपील दायर की है, जिसमें न्यायालय ने मू.वा.(वाणिज्यिक) सं.193/2019 शीर्षक *श्री जय भगवान बनाम अध्यक्ष/उपाध्यक्ष श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड कैमिकल्स और अन्य में* प्रतिवादी सं.1 के आवेदन को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद *ए एंड सी अधिनियम*) की धारा 8 के तहत *अनुमति प्रदान की है*।

2. अपीलार्थी ने 6,47,262 रुपये (छह लाख सैंतालीस हजार दो सौ बासठ रुपये मात्र) की वसूली के लिए पूर्वोक्त वाद संस्थित किया था, तथा वैकल्पिक रूप से प्रार्थना की थी कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 (जैसा कि वाद में शुरू में कहा गया था) को पहले से समायोजित राशि के संबंध में माल की आपूर्ति करने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य व्यादेश जारी किया जाए। वाद संस्थित किए जाने के समय प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के रूप में शामिल व्यक्तियों को पक्षकारों की सूची से हटा दिया गया है, लेकिन दलीलों और की गई प्रार्थनाओं में संशोधन नहीं किया गया।

3. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी नं.1 (वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में प्रस्तुत) ने एक डीलरशिप अनुबंध किया था जिसके तहत, अपीलार्थी को यूरिया और एसएसपी सहित कृषि उत्पादों के संबंध में एकमात्र वितरक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी का दावा है कि पिछले आठ वर्षों से वह हरियाणा के समालखा क्षेत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के लिए एकमात्र वितरक के रूप में कार्य कर रहा है। अपीलार्थी ने दावा किया कि उसने प्रत्यर्थी संख्या 1

को खाली चेक जारी किए थे और प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए चेक में राशि और विवरण भरना और अपीलार्थी द्वारा देय राशि को वसूलने के रूप में प्रस्तुत करना सामान्य अभ्यास था।

4. अपीलार्थी का दावा है कि उसने 80 मीट्रिक टन यूरिया की खरीद के लिए दिनांक 27.04.2018 को प्रत्यर्थी संख्या 1 को ₹4,44,000/- की राशि भेजी थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 28.04.2018 को एक बीजक भी जारी किया, लेकिन उसने केवल 20 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की, जिसका कुल मूल्य ₹1,10,754/- था। अपीलार्थी का दावा है कि उसने पाया कि 15.05.2018 को उसके बैंक खाते से ₹2,97,000/- की अतिरिक्त राशि डेबिट की गई थी। अपीलार्थी ने कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से पूछताछ करने पर, उसने पाया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ₹6,30,242/- (60 मीट्रिक टन यूरिया और 50 मीट्रिक टन एसएसपी) का माल सीधे प्रत्यर्थी संख्या 2 (मेसर्स भगवती ट्रेडिंग कंपनी, सनोली खुर्द, जिला पानीपत, हरियाणा) को आपूर्ति किया था। अपीलार्थी का दावा है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त आपूर्ति के संबंध में कोई राशि वसूलने का हकदार नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया था। अपीलार्थी ने यह भी दावा किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 (जिसे मूल रूप से दायर वाद में प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में और बाद में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया) ने उन सामानों की प्राप्ति से इनकार किया है जिन्हें प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा आपूर्ति किया जाना बताया गया था।

5. अपीलार्थी द्वारा वाद में मांगी गई राहतों का उल्लेख करना प्रासंगिक है और वे नीचे दिए गए हैं:-

> 'क) प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध 6,47,262/- रूपये (छह लाख सैंतालीस हजार दो सौ बासठ रूपये मात्र) तथा 18% बकाया व भावी ब्याज की वसूली के लिए धन डिक्री पारित करें अथवा वैकल्पिक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को पहले से समायोजित राशि अर्थात 6,47,262/- रूपये ब्याज सहित माल की आपूर्ति करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करें।
>
> या
>
> ख) प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा यह सफलतापूर्वक साबित कर दिए जाने की स्थिति में कि उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 को 60 मीट्रिक टन यूरिया और 50 मीट्रिक टन एसएसपी की आपूर्ति की थी और जिसे उन्होंने विधिवत प्राप्त कर लिया है, वादी के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध 6,47,262/-(छह लाख सैंतालीस हजार दो सौ बासठ रुपये मात्र) 18% बकाया और भावी ब्याज सहित वसूली के लिए धन डिक्री पारित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को यह भी साबित करना होगा कि उक्त सामग्री प्रतिवादी संख्या 4 को वादी के निर्देश पर या वादी की ओर से आपूर्ति की गई थी।

6. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि मूल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को हटा दिया गया था, और इसलिए, राहत खंड में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के

संदर्भ को प्रतिवादी संख्या 1 (वर्तमान अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1) के रूप में पढ़े जाने की आवश्यकता है।

7. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से ₹6,47,262/- की वसूली के लिए संस्थित की गई कार्रवाई इस आधार पर आधारित है कि उसने अपीलार्थी से राशि प्राप्त की थी, लेकिन उसके लिए मूल्य प्रदान नहीं किया था। यह इस संदर्भ में है कि अपीलार्थी ₹6,47,262/- की वसूली के लिए एक डिक्री का दावा करता है और वैकल्पिक रूप से, प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ उक्त राशि के लिए माल की आपूर्ति करने के लिए एक अनिवार्य व्यादेश के लिए एक डिक्री का दावा करता है, जिसे समायोजित करने का दावा किया जाता है।

8. विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने पाया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच किए गए डीलरशिप अनुबंध में मध्यस्थता खंड शामिल है। उक्त खंड नीचे दिया गया है:-

> "15. मध्यस्थता/शासी कानून - इस अनुबंध से उत्पन्न या इसके संबंध में कोई भी विवाद या मतभेद या दावा, जिसमें अनुबंध निर्माण, वैधता, निष्पादन या उल्लंघन शामिल है, वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FACT) के मध्यस्थता और सुलह अधिकरण के नियमों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटाया और तय किया जाएगा और उसके अनुसरण में दिया गया निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

> यह अनुबंध नई दिल्ली में निष्पादित किया गया है और इससे संबंधित कोई भी विवाद नई दिल्ली के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा और भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा।

9. हम विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय में कोई दौर्बल्यता नहीं पाते हैं कि प्रत्यर्थी सं. 1 के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा उठाए गए यह विवाद मध्यस्थता समझौते (डीलरशिप अनुबंध का खंड 15) के दायरे में आता है।

10. श्री सहगल, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पक्षों को मध्यस्थता के रुप में संदर्भित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि-(क) मुकदमे की विषय-वस्तु में प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध दावा भी शामिल था (वाद में मूल प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में प्रस्तुत किया गया है) और (ख) अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2. के बीच कोई मध्यस्थता अनुबंध नहीं है।

11. वह ***सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम जयेश एच. पांड्या और अन्य: (2003)5 एस. सी. सी 531*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर है और ***अमित लाल चंद शाह और अन्य बनाम ऋषभ एंटरप्राइजेज एवं अन्य 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 7865*** मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ का निर्णय के समर्थन में उनके इस तर्क पर कि पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है।

12. हम उक्त तर्क को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं। ***सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम जयेश एच. पंड्या एवं अन्य*** *(पूर्वोक्त)* में निर्णय पर अपीलार्थी का भरोसा गलत है। मुकदमे को सीधे पढ़ने से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ कार्रवाई का कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ कार्रवाई के कारण से अलग है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ राहत भुगतान की गई राशि या उसके मूल्य को वसूलने के लिए है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ अपीलार्थी की राहत प्रत्यर्थी संख्या 2 को आपूर्ति किए गए माल के लिए है; हालांकि, उक्त राहत के साथ यह चेतावनी दी गई है कि इसे इस स्थिति में दबाया जाएगा जब प्रत्यर्थी संख्या 1 यह साबित करने में सफल हो जाता है कि उसने प्रत्यर्थी संख्या 2 को "वादी के निर्देश पर या वादी की ओर से 60 मीट्रिक टन यूरिया और 50 मीट्रिक टन एसएसपी की आपूर्ति की थी। यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध कार्रवाई का कारण, यदि कोई हो, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरुद्ध कार्रवाई के कारण से भिन्न है। यह इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपीलार्थी की ओर से माल की आपूर्ति की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है।

13. ***सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम जयेश एच. पंड्या एवं अन्य*** *(पूर्वोक्त)* में न्यायालय ने पाया कि कार्रवाई के कारण को विभाजित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि "हालांकि, 'किसी मामले में' कोई

मुकदमा शुरू किया जाता है - जो मध्यस्थता समझौते से बाहर है और कुछ ऐसे पक्षकारों के बीच भी है जो मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं, धारा 8 के आवेदन का कोई सवाल ही नहीं है"। न्यायालय ने यह भी पाया कि कार्रवाई के कारणों को दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, एक मध्यस्थ अधिकरण द्वारा तय किया जाना और दूसरा न्यायालय द्वारा तय किया जाना। हालांकि, वर्तमान मामले में, कार्रवाई के अलग-अलग कारण हैं, जिन्हें अपीलार्थी द्वारा एक साथ जोड़ दिया गया है। अपीलार्थी के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ अपने अनुबंध को दरकिनार करके विवादों को उक्त तरीके से मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना स्वीकार्य नहीं होगा।

14. ***अमीत लाल चंद शाह एवं अन्य बनाम ऋषभ एंटरप्राइजेज एवं अन्य*** *(पूर्वोक्त)* में इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में सफलतापूर्वक अपील की गई तथा उक्त निर्णय को ***अमीत लालचंद शाह एवं अन्य बनाम ऋषभ एंटरप्राइजेज एवं अन्य: 2018(15) एससीसी 678*** में अपास्त कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता के लिए ऐसे निर्णयों का हवाला देना अनुचित है जिन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया हो।

15. ***अमीत लाल चंद शाह एवं अन्य*** *(पूर्वोक्त)* में, सर्वोच्च न्यायालय ने ***सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड*** *(सुप्रा)* की प्रयोज्यता को अलग किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 8 में

संशोधन किया गया था और कहा कि उक्त संशोधनों को विधि आयोग द्वारा अपनी 246वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

> "29. 2015 अधिनियम द्वारा धारा 8 में संशोधन की सिफारिशों को विधि आयोग की 246वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। अपनी 246वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने धारा 8 में संशोधन की सिफारिश करते हुए निम्नलिखित अवलोकन/टिप्पणी की:
>
> *एल. सी. टिप्पणीः*
>
> मध्यस्थता समझौते में "शब्द "ऐसे पक्षकारों" एवं संशोधन के प्रावधान *(i)* को *सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम जयेश एच. पंड्या [सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम जयेश एच. पंड्या,* (2003) 5 एससीसी 531] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में प्रस्तावित किया गया है, ऐसे मामलों में जहां विवाद के सभी पक्ष मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं, संदर्भ को केवल तभी खारिज किया जाना है जब ऐसे पक्षकार कार्रवाई के लिए आवश्यक पक्षकार हों - और तब नहीं जब वे केवल उचित पक्षकार हों, या अन्यथा कार्रवाई के लिए कानूनी रूप से अनजान हों और उन्हें केवल मध्यस्थता समझौते को दरकिनार करने के लिए जोड़ा गया हो। संशोधन के प्रावधान (ii) में न्यायिक प्राधिकरण द्वारा लंबित कार्रवाई को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय अपनाई जाने वाली दो-चरणीय प्रक्रिया पर विचार किया गया

है। संशोधन में यह परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षों को मध्यस्थता के लिए तभी संदर्भित नहीं करेगा जब उसे पता चले कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह शून्य और अमान्य है। यदि न्यायिक प्राधिकरण की राय है कि प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो वह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को मध्यस्थ अधिकरण द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने के लिए छोड़ देगा। हालाँकि, यदि न्यायिक प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि समझौता मौजूद नहीं है, तो निष्कर्ष अंतिम होगा और प्रथम दृष्टया नहीं होगा। संशोधन में यह भी परिकल्पना की गई है कि इस बारे में निर्णायक निर्धारण किया जाएगा कि मध्यस्थता समझौता शून्य और अमान्य है या नहीं।

(2) उपधारा (1) में संदर्भित आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ मूल मध्यस्थता करार या *उसकी विधिवत् प्रमाणित प्रति या शपथ-पत्र के साथ प्रति न हो, जिसमें दूसरे पक्ष को मूल मध्यस्थता समझौता या उसकी विधिवत् प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हो, ऐसी परिस्थितियों में जहां मूल मध्यस्थता समझौता या उसकी विधिवत् प्रमाणित प्रति केवल दूसरे पक्ष के पास ही हो।*

(जोर दिया गया)

*एल. सी. टिप्पणीः*

> "सरकारी निकायों और छोटे व्यापारीसे जुड़े कई लेन-देनों में, मध्यस्थता समझौते की मूल/विधिवत प्रमाणित प्रति केवल मध्यस्थ द्वारा ही रखी जाती है।यह संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि बाद वाला वर्ग किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो।" (संदर्भः 246वीं विधि आयोग रिपोर्ट, भारत सरकार)

30. अधिनियम की धारा 8 में संशोधन की भाषा स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 8(1) में संशोधन सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय की किसी भी प्रार्थना, निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद लागू होगा।

16. यह ध्यान देने योग्य बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि विधि आयोग ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 8 में संशोधन का प्रस्ताव सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम जयेश एच. पंड्या एवं अन्य (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर किया था। भारत के विधि आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, जहां पक्षों को मध्यस्थता समझौते को दरकिनार करने के लिए जोड़ा गया था।

17. चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ उठाए गए विवाद पूरी तरह से मध्यस्थता समझौते के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अपीलकर्ता के लिए किसी

अन्य पक्ष के खिलाफ कार्रवाई का कारण शामिल करने के लिए दलीलों का मसौदा तैयार करके इसे दरकिनार करना स्वीकार्य नहीं है।

18. हम प्रत्यर्थी संख्या 1 के आवेदन को ए एंड सी अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकार करने के विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय में कोई कमी नहीं पाते हैं, तथापि, हम स्पष्ट करते हैं कि आक्षेपित आदेश अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरुद्ध पृथक कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा, यदि अन्यथा कानून के अनुसार बनाए रखने योग्य हो।

19. उपरोक्त अवलोकन के साथ अपील खारिज कर दी जाती है।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान अपील का निपटारा करते हैं और इसे अपीलार्थी के लिए कानून के अनुसार मध्यस्थ अधिकरण की नियुक्ति के लिए उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं।

**न्या. विभु बाखरू**

**न्या. तारा वितस्ता गंजू**

**08 मई, 2024**
*एम.*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*